न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद

उपस्थितः वीर नायक सिंह..... एच०जे०एस०,

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 110/2022

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 108/2022]

[CNR No. UPFZ010002942022]

धरनीधर उपाध्याय पुत्र स्व० शिव कुमार उपाध्याय, निवासी ग्राम बवां कुमारगंज, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद/अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

.....

1. प्रार्थी/अभियुक्त धरनीधर उपाध्याय की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 110/2022, मुकदमा अपराध संख्या 385/2021, अन्तर्गत धारा 406, 419, 420, 467, 468 एवं 471 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद फैजाबाद/अयोध्या के मुकदमें में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रस्तुत मामले का अभियोग प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर पारित आदेश के अनुपालन में पंजीकृत हुआ। वादी मुकदमा राम महाजन यादव का यह कथन है कि वादी के घर राजेश प्रजापति अभिकर्ता अनी बुलियन एण्ड इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड एवं आई विजन इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी का आना जाना था। उक्त कम्पनी के मालिक अजीत गुप्ता तथा विशिष्ट पदाधिकारी धरनीधर उपाध्याय, अजय उपाध्याय, अंजनी कौशल, संतोष गुप्ता, धर्मेन्द्र कौशल आदि हैं। अभिकर्ता राकेश प्रजापति ने वादी का कुल बारह लाख पचास हजार रूपये वादी, उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू के नाम अजीत गुप्ता की संस्था आई विजन इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी प्राइवेट लिमिटेड में जमा करा दिया तथा विपक्षीगण ने सांठगांठ करके वादी का रूपया हड़प लिया है। राकेश प्रजापति से अपना रूपया मांगने पर वह जान से मारने की धमकी देता है।

5. वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद फैजाबाद/अयोध्या में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त भा०दं०सं० की धारा 406, 419, 420, 467, 468 एवं 471 के अपराध में विचारण हेतु आरोपपत्र प्रेषित है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से अपने इस प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका अनी ग्रुप ऑफ कम्पनीज़, आई विजन इण्डिया आदि कम्पनी से किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी स्वयं अनी ग्रुप में एक एजेन्ट था तथा उसने तमाम लोगों का रूपया जमा कराया था। उनके दबाव से बचने के लिये उसने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वह 75 वर्षीय वृद्ध तथा बीमार व्यक्ति है। वह दिनांक 31.07.2021 से जेल में निरूद्ध है। वह अपनी जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

8. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

9. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना आख्या में नामित अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त को कथित कम्पनी में कार्यरत् होना कहा गया है। उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा एवं अन्य निवेशकों को अधिक लाभांस का लालच देकर अपनी कम्पनी में धन जमा कराया जाना तथा कथित धन को छलकपट एवं धोखाधड़ी करके हड़प लिया जाना एवं फर्जी व कूटरचित बाण्ड आदि प्राप्त कराया जाना कहा गया है। दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा वादी व अन्य निवेशकों द्वारा कथित कम्पनी में निवेश की गयी धनराशियों से सम्बन्धित दस्तावेज केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा इसी प्रकार हजारो निवेशकों का करोड़ों रूपये अपनी विभिन्न कम्पनियों में अधिक लाभांश का लालच देकर जमा कराया गया एवं उनके साथ धोखाधड़ी व छल कारित करते हुये जमा धनराशियों को हड़प लिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को आपराधिक प्रवृत्ति का होना एवं इसी तरह के मामले से सम्बन्धित अन्य अभियोग भी विभिन्न थानों में दर्ज होना बताया गया है। वादी एवं अन्य निवेशक द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का संतोषजनक आधार नहीं है। जमानत

प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त धरनीधर उपाध्याय की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 110/2022, मुकदमा अपराध संख्या 385/2021, अन्तर्गत धारा 406, 419, 420, 467, 468 एवं 471 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद फैजाबाद/अयोध्या के अभियोग में आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(वीर नायक सिंह)
सत्र न्यायाधीश
फैजाबाद
JO CODE: 5624

दिनांकः 28.01.2022